(342)

458

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

कोर्ट कैम्प - रीवा

R-3794-II/14

तेरसिया यादव पुत्री रामकुमार यादव, उम्र 50 वर्ष, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम खाम्ह, वर्तमान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केन्द्र अहिरान टोला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म0प्र0) .... निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन .... उत्तरवादी

निगरानी विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधिकारी (श्री विशेष गढ़पाले) प्रकरण कमांक/02/स्वमेव निगरानी/2012–2013 आदेश दिनांक 08.09.2014 में पारित आदेश जिसके द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए ग्राम अहिरान टोला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के भूमि खसरा कमांक 1041 के अंश रकवा 0.10 हे0 का मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार अधिनियम के अन्तर्गत् उपखण्ड अधिकारी महोदय चुरहट द्वारा दिया गया पट्टा निरस्त किया गया है।

निगरानी अन्तर्गत् धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नांकित निगरानी याचिका प्रस्तुत है :–

क्रमांक 3496
पोस्ट ... आज ... को प्राप्त
29-10-14
... राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(342)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–सीधी

प्रकरण क्रमांक **R–3794-III / 14**

तेरसिया यादव / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 02 / स्व0 निग0 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	